

लिंगा मॉनिस्ट्रि
टॉक

११

बकाया निकालत है। उक्त ऋणी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 31.03.2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके अंग का ब्याज व अन्य खर्च बकाया राशि 2,81,301/- (अक्षरे दो लाख इक्यासी हजार तीन सौ एक रुपये मात्र) को दिनांक 01.10.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणीगण के कर्ज किये गये ऋण अनुबंध की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाते हजारों बैरवा का मकान स्थित है। अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को, बैंक के साथ में स्वयं का बाड़ा, परिवार में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता तथा दक्षिण में सीता पत्नी लिंगा टोक में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 154.88 वर्गगज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व सम्पत्ति/खूबूह, पट्टा संख्या, 12 बाके आम नला, आम पंचायत खंडवा तहसील निवाड़े की सुविधा के एवज में बंधक सम्पत्ति, मीरा देवी के स्वामित्व व अधिपत्य की एक उपलब्ध करवाया गया था व अप्रार्थी/ऋणियों, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण से 2,05,607/रुपये (अक्षरे दो लाख पांच हजार छः सौ सात रुपये मात्र) का ऋण कम्पनी से ऋण खाता संख्या FIVARJ01SBL00006001784 से दिनांक 23.12.2022 बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण, Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The

दिनांक 06.05.2026

आदेश

असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002
प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटी इन्फोर्समेंट एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल

ऋणी/सहऋणी/जमानती

1. बाबू लाल बैरवा निवासी नला खंडवा, तहसील निवाड़े लिंगा टोक राज.
2. मीरा देवी निवासी नला खंडवा, तहसील निवाड़े लिंगा टोक राज.
3. चौधमल निवासी नला खंडवा, तहसील निवाड़े लिंगा टोक राज.

बनाम

बैलाई एस्टेट, मुंबई - 400038
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मंजिल, बेकफील्ड हाउस, स्टार्ट रोड,

30.03.2026

41/2026

प्रविष्टि दिनांक
प्रकरण संख्या

(पीठस्थान अधिकारी टीना डाबी, आई.ए.एस.)

न्यायालय लिंगा मॉनिस्ट्रि टॉक





ज़िला मजिस्ट्रेट
ज़िका

(Handwritten signature)

in his opinion, be necessary.

cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,
(1) the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or
(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section
(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

District Magistrate shall, on such request being made to him-
thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the
documents relating thereto may be situated of found- to take possession
the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other
such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or
secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any
transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the
secured creditor or if any of the secured assets is required to be taken by the
(1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the
creditor in taking possession of secured asset-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

स्पष्ट प्रावधान है, जो इस प्रकार है।

2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act
को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and
किया जाने व तालिम के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः नोटिस जारी
दिनांक 04.10.2016 के अन्वय प्रार्थी को धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी
6256/2016 पंजीकरण व अन्य वनाम जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय
न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या
करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रत्याशित धारा भुगतान नहीं किया गया।

प्रावधान एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि
प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी
करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रत्याशित धारा भुगतान नहीं किया गया।
तहत उपरोक्त खाते में देय राशि का पुनर्भुगतान हेतु रहन बूटा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी
बैंक / कम्पनी को जारी पुलिस इमपद संभालने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
गया है।
सम्भालाया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of
मार्च 2002 की धारा 14 के
गई है। नोटिस जारी करने के बावजूद नोटिस जारी प्रार्थी कम्पनी / कम्पनी को नहीं
में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद नोटिस जारी प्रार्थी मध्य ब्याज चुकाने में बैंक की
अन्तर्गत दिनांक 27.05.2025 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया जाने तथा समाचार पत्र



टीका (टीका लेखी)
कॉलेज
कॉलेज

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

वहन किया जायगा।

वहनकर्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमां में देय है जो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा प्रति भिजवाई जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय स्वयं आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जा में लेते वकालत व्यवस्था बनाने सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी संक्षम न्यायालय का पालना करते हुए कब्जा में लेकर प्रार्थी को सम्मिलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह एसेट्स एण्ड एनकाउंटेन्टेड ऑफ सिविल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की में रहन रखी गई सम्पत्ति को ही सिविल इंस्ट्रुमेंट्स एण्ड सेक्युरिटीज अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अधीन प्रती तहसीलदार निवाड़े को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।

है, यदि नियमां के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्राधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त 2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के बाध्य पक्ष एवं पक्ष दस्तावेजों के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावे।

1. रहन रखा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संग्रहित वकालत यदि नियमानुसार आक्षेप प्राप्त होता है तो सम्मिलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :

पक्ष के आधार पर प्राधान पक्ष स्वीकार किया जाता है तथा रहन रखा सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये बाध्य नियमां के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थान कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्राधान पक्ष के साथ इस आधार का बाध्य पक्ष किया कि